# HRANGER USIUS UNE Gazette of India

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1992] No. 1992] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2010/आश्विन 5, 1932

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2010/ASVINA 5, 1932

### वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2010

का.आ. 2343 (अ).—यत:, मै. लारसेन एवं टूबरो लिमिटेड, जो कर्नाटक राज्य में एक निजी संगठन है, ने कर्नाटक राज्य में केआईडीबी इंडस्ट्रियल एरिया, तालुका हेबेल-हूटागल्ली, जिला मैसूर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त, विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 16 अगस्त, 2010 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है:

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसुचित करती है, अर्थात् :—

#### तालिका

		कुल	10.00
2.		392(भाग)	8.33
1. केअ	ाईडीबी इंडस्ट्रियल एरिया	105 (पी) (भाग)	1.67
(1)	(2)	(3)	(4)
सं.		( हे	क्टेयर में)
क्र.	स्थान का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक सिमित, जिसे अनुमोदन सिमित कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- 1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त
  - —अध्यक्ष, पदेन —सदस्य, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाण्ज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाण्ज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक

—सदस्य, पदेन

4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त

---सदस्य, पदेन

 विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा

आयुक्त से कम नहीं होगा

—सदस्य, पदेन

 निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार —सदस्य, पदेन

 कर्नाटक सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा

—सदस्य, पदेन

8. मै. लारसेन एवं टूबरो लिमिटेड — विशेष (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि आमंत्रिती

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ. 1/12/2010-एसईजेड] अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2010

S.O. 2343 (E).—Whereas, M/s. Larsen and Toubro Limited a private organization in the State of Karnataka, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at KIADB Industrial Area, Taluka Hebbel-Hootagally, District Mysore in the State of Karnataka;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 16th August, 2010;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely:—

**TABLE** 

Name of the location	Survey Number	Area (in hectares)
(2)	(3)	(4)
DB industrial Area	105(p) (Part)	1.67
	392(Part)	8.33
62	Total	10.00
	location (2)	location Number (2) (3) DB industrial Area 105(p) (Part) 392(Part)

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of

the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

ollo	wing Chairperson and Members, na	
1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	—Member, ex-officio
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member, ex-officio
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member, ex-officio
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	—Member, ex-officio
7.	Two Officers, not below the ran of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Karnataka	
8.	Representative of M/s. Larsen & Toubro Limited	& —Special

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 27th day of September, 2010 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(Developer of the Zone)

[F. No. F. 1/12/2010-SEZ]

Invitee

ANIL MUKIM, Jt. Secy.